क्रिकेट | जबलपुर में अंतर जिला अंडर-22 क्रिकेट प्रतियोगिता

मंडला की शानदार जीत, बालाघाट को 80 रन से हराया

नवभारत,जबलपुर। जबलपुर स्थित एमपीसीए स्टेडियम नीमखेड़ा में जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर-22 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2025-26 का शुभारंभ हुआ।

पहले ही दिन खेले गए मुकाबले में मंडला जिले ने बालाघाट को 80 रनों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बालाघाट जिले की टीम ने 41.3 ओवरों में सभी विकेट खोकर 261 रन बनाए। टीम की ओर से शिविन दुबे ने 61 रनों की आक्रामक पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। धर्मेंद्र धुर्वे ने 50 रन बनाए, जबकि अमन 33 रन बनाकर नाबाद लौटे। मंडला के गेंदबाजों में अभिषेक बोरकर और अभिषेक बिसेन ने 3-3 विकेट झटके, जबकि अन्य गेंदबाजों ने भी योगदान दिया।

मंडला की टीम 181 रन पर सिमटी

लक्ष्य का पीछा करने उतरी मंडला टीम ने मजबूत शुरुआत करते हुए 20 ओवरों में बिना विकेट 100 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद बालाघाट के कप्तान शिविन दुबे ने घातक गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 39 रन देकर महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। इसके चलते मंडला की पूरी टीम 38.4 ओवरों में 181 रन पर सिमट गई। मंडला की ओर से प्रखर बमनोट और मंथन गुरमाती ने 39-39 रन बनाए, जबकि अभिषेक बोरकर ने 40 रन बनाकर दूसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी निभाई। बालाघाट की ओर से शिविन दुबे ने 6 विकेट लेकर मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। मैच में अंपायर की भूमिका प्रतीक खरे और रामा राव ने निभाई, जबकि स्कोरिंग सिमरन द्वारा की गई।

कटनी को 109 रनों की बढ़त, पांढुर्णा पहली पारी में 78 रन पर सिमटी

नवभारत, जबलपुर। जबलपुर संभागीय क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंडर-13 अंतर जिला दो दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत खमरिया स्थित वेस्ट लैंड सुभाष ग्राउंड में कटनी और पांढुर्णा जिले के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। मैच के पहले दिन टॉस जीतकर कटनी ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पांढुर्णा की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 41 ओवर में मात्र 78 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से हावेश सोनी ने 27 और ईशान विश्वकर्मा ने 11 रन बनाए। कटनी के गेंदबाज रोहन मंगलानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि भावेश ने 2 और कुशल रंगलानी ने 1 विकेट हासिल किया। जवाब में कटनी ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 47 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए हैं। टीम ने पहली पारी में 109 रनों की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है। कटनी की ओर से सानिध्य सिंह 71 रन और हार्दिक यादव 41 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि वैष्णव सिंह ने 31 रनों का योगदान दिया। पांढुर्णा की ओर से कुश कावड़े को एक विकेट मिला। मैच में अंपायर की भूमिका अमित यादव और अंकित यादव निभा रहे हैं, जबकि स्कोरिंग अपूर्व श्रीवास्तव द्वारा की जा रही है। मुकाबले का दूसरा और अंतिम दिन का खेल मंगलवार सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा।

अब शासकीय सेवकों को मिलेगा 58 फीसदी डीए

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 23 मार्च. शासकीय सेवकों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. उन्हें अब 3 फीसदी अतिरिक्त मंहगाई भत्ता मिलेगा, इसी तरह पेंशनरों को भी 3 फीसदी मंहगाई राहत का फायदा मिलेगा. ये भत्ता एक जुलाई 2025 से देय होगा. शासकीय सेवकों का डीए बढ़कर अब 58त्न हो जाएगा. कैबिनेट ने गुरुवार को इस संबंध में पेश प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है.

निर्णय के तहत एक जुलाई, 2025 से 31 मार्च तक की एरियर राशि का भुगतान छः समान किश्तों में किया जायेगा. प्रथम किश्त का भुगतान मई माह में, द्वितीय किश्त का भुगतान माह जून में, तृतीय किश्त का भुगतान माह जुलाई में, चतुर्थ किश्त का भुगतान माह अगस्त में, पांचवी किश्त का भुगतान माह सितम्बर में और छठवी किश्त का भुगतान माह अक्टूबर में किया जायेगा. वहीं बढ़े हुए डीए का नगद लाभ अप्रैल का वेतन जो कि मई में देय होगा, मिलना शुरू हो जाएगा. 3 फीसदी डीए बढ़ने से शासकीय सेवकों को प्रतिमाह 465 रुपए से 4230 रुपए का फायदा होगा, वहीं उन्हें 4185 रुपए से लेकर 38070 रुपए एरियर भी किश्तों में मिलेगा. एक जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 की अवधि में सेवानिवृत और मृत शासकीय सेवकों के संबंध में उन्हें अथवा नामांकित सदस्य को एरियर राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा. छठवें वेतनमान के कार्मिकों एवं निगम, मंडल, उपक्रम के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर राज्य शासन में कार्यरत पांचवें एवं चौथे वेतनमान अंतर्गत कार्मिकों को समानुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ता में बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया. राज्य शासन के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक जनवरी, 2026 से सातवें वेतनमान के तहत 58 प्रतिशत एवं छठवें वेतनमान के तहत 257 प्रतिशत पेंशन राहत स्वीकृत करते हुये छत्तीसगढ़ शासन के 9 फरवरी, 2026 के पत्र पर सहमति प्रदान की गई. कैबिनेट के इस निर्णय से राज्य सरकार पर 2450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा. 7.50 लाख सभी संवर्ग के शासकीय सेवकों और 4.5 लाख पेंशनरों को मिलाकर कुल 12 लाख लोगों को डीए और डीआर का फायदा मिलेगा. अभी तक 55 फीसदी डीए और डीआर दिया जा रहा था.

प्रतिवर्ष 4 हजार ओबीसी युवाओं को सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी

कैबिनेट ने प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के युवक-युवतियों को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों,पुलिस,होमगार्ड एवं निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 का संचालन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है. स्वीकृति अनुसार प्रतिवर्ष अन्य पिछड़े वर्ग के 4000 युवाओं को सैन्य बल एवं अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. प्रशिक्षण अवधि में पात्र पुरूष अभ्यर्थी को एक हजार रूपये प्रति माह तथा महिला अभ्यर्थी को 1100 रूपये प्रति माह की दर से शिष्यवृत्ति भी उपलब्ध कराई जायेगी. स्वीकृति अनुसार प्रदेश के 10 स्थानों पर स्थापित 40 केन्द्रों पर महिला एवं पुरूष उम्मीदवारों को अलग- अलग प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा.

आरक्षक संवर्ग भर्ती मामले में केविएट दायर

जबलपुर। आरक्षक संवर्ग भर्ती एवं अनुसचिवीय संवर्ग भर्ती 2025 का परीक्षा परिणाम इसी वर्ष जारी होने की सम्भावना है। चयन प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर किये जाने की संभावना को मद्देनजर प्रदेश सरकार के द्वारा केविएट याचिका दायर करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब हे कि आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा वर्ष 2025 के प्रथम चरण लिखित परीक्षा का परिणाम मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जनवरी माह में अपनी वेबसाइट पर जारी किया गया था। आरक्षक संवर्ग भर्ती एवं अनुसचिवीय संवर्ग भर्ती 2025 का परीक्षा परिणाम इसी वर्ष जारी होने की सम्भावना है। नियुक्ति प्रक्रिया के विरूद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर होने पर शासन का पक्ष सुने बिना एक पक्षीय आदेश जारी नहीं हो इसके लिए कैविएट दायर की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जबलपुर सम्पत उपाध्याय ने उप पुलिस अधीक्षक महिला सुरक्षा शाखा जबलपुर को कैविएट दायर किये जाने हेतु प्रकरण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है ।

धारदार हथियार से हमला

जबलपुर। हनुमानताल कसाई मंडी के पास बदमाश ने युवक पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रासिद अंसारी 30 वर्ष निवासी कसाई मंडी दारूल उलूम के पीछे हनुमानताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आटो चलाता है दोपहर लगभग 2-30 बजे अपने घर के सामने टहल रहा था तभी चिन्टू उर्फइस्लाम आया और भांजा सोहेले से हुये विवाद की बात को लेकर झगड़ा करने लगा । इसके बाद धारदार हथियार से हमला कर उसे चोट पहुंचा दी और जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गया।

दामाद ने सास पर किया हमला

जबलपुर। हनुमानताल थाना अंतर्गत प्रेमसागर में दामाद ने सास पर डंडे से हमला कर चोट पहुंचा दी। पुलिस ने बताया कि श्रीमति सुमन डागौर 40 वर्ष निवासी प्रेमसागर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका दामाद विशाल रैकवार आये दिन उसकी बेटी से विवाद करता है। सुबह लगभग 10-15 बजे अपनी बैटी माही रैकवार के घर गयी वहां दामाद विशाल रैकवार बेटी माही से मारपीट कर रहा था, उसने मारपीट करने से मना किया तो विशाल से उस पर डंडे से हमला कर चोट पहुंचा दी।

कॉमर्शियल सिलेंडरों की वितरण के लिये सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी

भोपाल . खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की वितरण व्यवस्था के संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किये गये हैं.

जारी निर्देश में कॉमर्शियल एलपीजी की वर्तमान खपत एवं आवश्यक सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए कॉमर्शियल एलपीजी का आवंटन प्राथमिकता क्रम अनुसार किया जायेगा. इसमें शैक्षणिक संस्था/चिकित्सा संस्थान में आवश्यकता का 100 प्रतिशत में आवंटन 30 प्रतिशत, आवश्यक सेवाएँ, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस, सुरक्षा बल, पुलिस, जेल, सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास एवं अन्य विभाग के संस्थान, जहाँ वृद्ध महिला, बच्चे निवासरत हैं तथा एयरपोर्ट, रेलवे, दीनदयाल रसोई में 35 प्रतिशत, होटल 9 प्रतिशत, रेस्टॉरेंट, केटर्स 9 प्रतिशत, ढाबा, स्ट्रीट फूड वेण्डर 7 %, उद्योग (फार्मास्यूटिकल/ फूड प्रोसेसिंग/ पॉल्ट्री फूड, सीड प्रोसेसिंग) में 5 प्रतिशत और अन्य उद्योग एवं अन्य (प्रकरणवार निर्णय) में 5% का आवंटन होगा.

दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा, 5 गिरफ्तार

भिण्ड. मध्यप्रदेश में भिण्ड जिले के अटेर अनुभाग के सुरपुरा थाना क्षेत्र के सोई गांव में बोरी में मिली नवविवाहिता की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार 24 फरवरी को अटेर क्षेत्र के बढ़पुरा निवासी 20 वर्षीय नवविवाहिता घर से सामान लेने निकली थी, जिसके बाद वह लापता हो गई. 26 फरवरी को सोई गांव के पास बंवा पुलिया के नजदीक उसका शव बोरी में मिला था. मामले की जांच के दौरान पुलिस को शव के साथ मिली बोरी में दूब घास और आम, जामुन, अमरूद व आंवला के पत्ते मिले, जिसके आधार पर जांच की दिशा बदली गई.

हथियार तस्कर गिरफ्तार 5 देशी पिस्टल बरामद

बड़वानी. जिले के निवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पांच देशी पिस्टल सहित अन्य सामग्री जब्त की है. थाना प्रभारी आर.के. लोवंशी ने बताया कि पुलिस को पलसूद रोड स्थित सिदड़ी फाटा के पास बिना नंबर की मोटरसाइकिल के साथ एक संदिग्ध व्यक्ति के घूमने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कृपाल सिंह टकराना निवासी उंडी खोदरी के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान उसके पास से पांच देशी पिस्टल, एक मोबाइल फोन, बिना नंबर की मोटरसाइकिल, एक बैग और नकदी बरामद की गई है.

जल संरक्षण पर जनभागीदारी जरूरी

आरसीवीपी नरोंहा अकैडमी में हुआ आयोजन

भोपाल, 23 मार्च. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने राजधानी स्थित आरसीवीपी नरोंहा प्रशासनिक अकैडमी में आयोजित 'नेशनल एक्विफर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम की राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया.

इस दौरान उन्होंने भूजल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण आज एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है. जल संकट से निपटने के लिए जनभागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने लोगों से इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उप मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण को जल प्रबंधन से जोड़ते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यदि अभी से ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में जल संकट और गंभीर हो सकता है. कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों और विशेषज्ञों को संबोधित करते हुए शुक्ल ने सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

इस अवसर पर जल प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तार से चर्चा की गई और राज्य में जल संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया.

ब्राउन शुगर के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

खरगोन. जिले की सनावद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से ब्राउन शुगर और अन्य सामग्री जब्त की है. थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अनाज मंडी क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे भागने लगे. पीछा कर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन वर्मा निवासी बड़वाह और मोईन शेख निवासी सनावद के रूप में हुई है. तलाशी में उनके पास से 12.65 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में सामने आया कि यह मादक पदार्थ रतलाम निवासी आमीन खान उर्फ महाराज से लिया गया था.

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर

क्रमांक- का. से./2025-26/040 | सार्वजनिक सूचना | दिनांक- 13.03.2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संभाग क्रमांक-4 वार्ड क्रमांक-10 (गुप्तेश्वर वार्ड) अंतर्गत मौजा महानदी नं.ब. 663 प.ह.नं. 6 खसरा नं. 76/2/1 कुल रकवा 0.186 हेक्टेयर (1860.00 वर्गमीटर) भूमि पर बहुमंजिला आवासीय भवन(PRAGATI HEIGHTS IV) की अनुमति हेतु विकासकर्ता/कालोनाईजर मेसर्स प्रगति बिल्डर्स एण्ड प्रमोटर्स पार्टनर श्री अरूण कुमार अग्रवाल पिता श्री विशन विहारी लाल अग्रवाल निवासी- शिवानी होम्स फेस-4, गुप्तेश्वर वार्ड, जबलपुर द्वारा कॉलोनी विकास अनुमति प्राप्त करने के लिए निष्पादित विकास अनुबंध अनुसार विकास कार्यों के विरूद्ध निगम पक्ष में बंधक रखी गई संपत्ति का विवरण निम्न है- बंधक संपत्ति का विवरण- द्वितीयतल पर फ्लैट क्रमांक 201, 202, 203, 204, 212 कुल 5 नग BUA 226.87 वर्गमीटर अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित संपत्ति/भूखण्डों का क्रय विक्रय कॉलोनी विकासकर्ता द्वारा नगर निगम से विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पूर्व न किया जावे उपरोक्त संबंध में विस्तृत जानकारी एवं विवरण तथा अभिन्यास का अवलोकन कार्यालयीन कार्य दिवस में नगर पालिक निगम जबलपुर कॉलोनी सेल कक्ष क्रमांक-5 में किया जा सकता है

प्रभारी कॉलोनी सेल-
नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

//द्वितीय निविदा सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Tender ID- 2026_UAD_492442_1	संभाग क्रं.-01 गढ़ा वार्ड अंतर्गत चंदन कालोनी एवं शिव मंदिर के आस पास के क्षेत्र में सी.सी.सड़क निर्माण कार्य। (पार्षद अनुशंसा)	13.05 लाख	2000/-	07/04/2026
	PRO- 1004 Date-23/04/2026		तीन माह	9790/-	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय नगर पालिक निगम जबलपुर (म.प्र.)

// निविदा-सूचना//

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	लागत राशि एवं समयावधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	Tender ID- 2026_UAD_493165_1	स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 हेतु संभाग क्रमांक-01 गढ़ा के अंतर्गत चैम्बर निर्माण एवं अन्य कार्य।	845451.00	2000.00	07/04/2026
	PRO- 997 Date-23/03/2026		2 month	8460.00	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन की वेबसाईट https://mptender.gov.in पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम जबलपुर

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर संभाग जबलपुर

क्रं. स्था./2026/3487 | वित्त भवन, कलेक्ट्रेट परिसर, जबलपुर | जबलपुर दिनांक 23/03/2026

संशोधित विज्ञप्ति

संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर में कार्यालयीन उपयोग हेतु म.प्र. शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 11-02/2025/नियम / चार भोपाल, दिनांक 02/05/2025 के अंतर्गत एक जीप/ कार एक वर्ष की अवधि 01/05/2026 से 30/04/2027 तक किराये पर लिया जाना है। यह अवधि अनुबंध के अनुरूप बढ़ाई भी जा सकेगी। निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक 09/04/2026 को दोपहर 12 बजे तक इस कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा फॉर्म इस कार्यालय में दिनांक 07/04/2026 तक कार्यालयीन समय में राशि रू. 250/- (दो सौ पचास मात्र) नगद जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर संभाग जबलपुर के नाम से जमा करना होगा।

टीप: अन्य शर्तें निविदा फॉर्म के साथ संलग्न है।

सहायक संचालक
कोष एवं लेखा
जबलपुर संभाग जबलपुर

SHRIRAM Finance — A WINNING RELATIONSHIP

श्रीराम फायनेंस लिमिटेड

हेड ऑफिसः 101-105 शिव चेम्बर प्रथम तल, बी विग, सेक्टर - 11 बीडी बेलापुर नवी मुंबई भारत 400614

पंजीकृत कर्यालय - मुकम्बिका काम्प्लेक्स तृतीय तल नं. 4 लेडीदेशिका रोड मैलापुर चेन्नई तमिलनाडू भारत 600004

शाखा कार्यालयः 36/1, तृतीय तल दिगम्बर टॉवर, एसबीआई बैंक के ऊपर, मास्टर माईन्ड कोचिंग क्लास के सामने, राईट टाउन, जबलपुर (म.प्र.)-482002

सरफेसी अधिनियम 2002 की सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

सिक्योरिटी इंटररेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3(1) उक्त नियम के सहपठित सेक्शन 13(2) ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) के तहत उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13(12) के तहत अधिकारियों के पालन में **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व नाम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी)** के प्रा.अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की थी जिसमें देनदारियों/ गारंटरों को उक्त से संबंधित उन्हें जारी नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था, देनदारों व गारंटरों को पुनः देनदारों व गारंटरो को इस नोटिस तिथि से 60 दिनों से निम्न राशि चुकाने को कहा जाता है, देनदार व गारंटर, देय राशि व लोन राशि के भुगतान हेतु प्रस्तुत सिक्योरिटी राशि के विवरण निम्न हैः-

ऋणकर्ता/जमानतदार/कानूनी उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि/लोन खाता नं.	1.मांग/सूचना की तारीख 2.मांग/सूचना के अनुसार देय राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण स्थावर संपत्ति
निजामुद्दीन पुत्र सलामुद्दीन (उधारकर्ता) पताः के-22, अहमद नगर, डॉ. रजा क्लिनिक के पीछे, वार्ड क्रमांक-54, अब्दुल हमीद वार्ड, कटरा, अधारताल, रजा चौक के पास, जबलपुर (म.प्र.) 482004 मोबाइलः- 9329458464 मिर्जा मंसूर बेग पुत्र- नसुरल्ला बेग (जमानतदार) पताः राय भवन, अहमद नगर, कटरा मजसीद कटरा के सामने, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.) 482001 ऋण संख्या- JBPPR0507310002	देय लोन राशि- 5,00,000/- दिनांकः 31/07/2015, अनुबंध राशि - 9,18,770/- कुल शेष बकाया - 52,65,168/- दिनांक 12.12.2025 तक देय अन्य शुल्क + खर्चे लागू	आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और हिस्सा, जो डायवर्टेड (परिवर्तित) भूमि पर निर्मित एक मकान के रूप में है। इस संपत्ति का विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नंबर 8, क्षेत्रफल - 1418 वर्ग फुट, जो मौजा-बेटाला, एन.बी. 52, प.ह.नं. 22, खसरा नंबर 181/1 के भाग, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है। जमा की गई विक्रय विलेख (Sale Deed) का विवरणः- बुक नंबरः A-1, ग्रंथ नंबरः 283, पृष्ठ संख्याः 25-32, क्रमांकः 325/3, दिनांकः 01.08.2012, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार हैंः संपत्ति की सीमाएंः- उत्तरः बिस्मिल्लाह बे की संपत्ति, दक्षिणः साईड सड़क, पूर्वः राशिद खान की संपत्ति, पश्चिमः हाजी हामिद की संपत्ति।
निज़ामुद्दीन पुत्र सलामुद्दीन (उधारकर्ता) पताः के-22, अहमद नगर, डॉ. रजा क्लिनिक के पीछे, वार्ड क्रमांक-54, अब्दुल हमीद वार्ड, कटरा, अधारताल, रजा चौक के पास, जबलपुर (म.प्र.) 482004 मोबाइलः- 9329458464 अजीम खान पुत्र खलील खान (जमानतदार) पताः मकान नं. 1546, अजीज गंज, पसियाना लकवा यूनिट के पास, झिरिया के पास, शास्त्री वार्ड, गोहलपुर लकवा यूनिट के पास, झिरिया के पास जबलपुर (म.प्र.) 482002 । मोबाइलः- 9303377251 ऋण संख्या - JBLPR0508040001	देय लोन राशि- 5,00,000/- दिनांकः 05/08/2015, अनुबंध राशि - 9,33,865/- कुल शेष बकाया - 48,85,991/- दिनांक 12.12.2025 तक देय अन्य शुल्क + खर्चे लागू	आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और हिस्सा, जो डायवर्टेड भूमि पर निर्मित एक मकान के रूप में है। इस संपत्ति का प्लॉट नंबर 8 है और इसका क्षेत्रफल 1418 वर्ग फुट है। यह संपत्ति मौजा-बेटाला, एन.बी. 52, प.ह. नं. 22, खसरा नंबर 181/1 के भाग, शहीद अब्दुल हमीद वार्ड, तहसील एवं जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित है। जमा की गई विक्रय विलेख (Sale Deed) का विवरण निम्नलिखित हैः बुक नंबरः A-1, ग्रंथ नंबरः 283, पृष्ठ संख्याः 25-32, क्रम संख्याः 325/3, दिनांकः 01.08.2012। इस संपत्ति की सीमाएं (बाउंड्री) निम्नानुसार हैंः संपत्ति की सीमाएंः- उत्तरः बिस्मिल्ला बे की संपत्ति, दक्षिणः साईड सड़क (Side Road), पूर्वः राशिद खान की संपत्ति, पश्चिमः हाजी हामिद की संपत्ति।
श्री राजेश कुमार मेहरा पुत्र-बसंत लाल मेहरा (उधारकर्ता) पताः एलआईजी 58 कटंगी रोड मदर टेरेसा नगर आईटीआई चुंगी नाका पटेल किराना स्टोर्स के पास जबलपुर (म.प्र.) 482002 । मोबाइलः 024094284 ऋण संख्याः JBLPR0602150015	देय लोन राशि- 10,00,000/- दिनांकः 15/02/2016, अनुबंध राशि - 20,29,313/- कुल शेष बकाया - 99,94,143/- दिनांक 12.12.2025 तक देय अन्य शुल्क + खर्चे लागू	आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति का वह संपूर्ण भाग, जिसका माप LIG-366 है, जो एम.पी. हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मदर टेरेसा नगर, कटंगी रोड, पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड, जबलपुर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 42.00 वर्ग मीटर है, जिसमें से 22.74 वर्ग मीटर पर निर्माण (Built Up) किया गया है। इसकी मूल विक्रय/पट्टा विलेख (Sale/Lease Deed) दिनांक 15/09/2015 को उप-पंजीयक कार्यालय, जबलपुर में पंजीकृत की गई थी, जिसे ई-पंजीकरण संख्या MP182552015A1081150 प्रदान की गई है। इसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैंः संपत्ति की सीमाएँः- उत्तर मेंः LIG-367, दक्षिण मेंः LIG-365, पूर्व मेंः LIG-373, पश्चिम मेंः साईड सड़क (Side Road)।
श्री सन्मति ज्वेलरी प्रोः संजीव कुमार जैन पुत्र-प्रेम चंद जैन (उधारकर्ता) पताः दुकान नंबर 1474 सन्मति आभूषण सराफा बाजार कोतवाली वार्ड पंडित जय नारायण मिश्रा मार्केट, जबलपुर (म.प्र.) 482001 मोबाइलः- 9977709077 श्री आशुतोष दुबे पुत्र अरविंद दुबे (जमानतदार) पताः 1047, पंचशील टॉकीज के पीछे, गोविंद वल्लभ पंत साउथ मिलोनीगंज, अमखेरा, जबलपुर, पंचशील टॉकीज जबलपुर (म.प्र.) 482004 । मोबाइलः- 8982898277 ऋण संख्या - JBLPR0703100001	देय लोन राशि- 8,00,000/- दिनांकः 10/03/2017, अनुबंध राशि - 13,09,485/- कुल शेष बकाया - 39,78,134/- दिनांक 12.12.2025 तक देय अन्य शुल्क + खर्चे लागू	मौज करमेता, एन.बी. 497, प.ह.नं. 78/23, आर.एन.एम. महाराजपुर, खसरा नंबर 538/6 का हिस्सा (नया खसरा नंबर 538/8/1/1 /2 और 538/8/1/1/1), प्लॉट नंबर 94, क्षेत्रफल-25X40= 1000 वर्ग फुट, तहसील पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित आवासीय/व्यावसायिक भूमि का संपूर्ण भाग। विक्रय विलेख दिनांकः 24.12.13 को क्रमांक 2961 पर निष्पादित (पुस्तक A-1, ग्रंथ 669, पृष्ठ संख्या 79-86 में दर्ज)। जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैंः संपत्ति की सीमाएँः- उत्तरः प्लॉट नंबर 95, दक्षिणः साईड सड़क, पूर्वः प्लॉट नंबर 86, पश्चिमः साईड सड़क।
श्री मनोज कुमार नीखरा पुत्र स्वर्गीय द्वारका प्रसाद नीखरा (उधारकर्ता) पताः 1827 प्रेम नगर मदन महल गुलाटी पेट्रोल पंप के सामने, जबलपुर (म.प्र.) 482001। मोबाइलः- 9425804721 ऋण संख्याः- JBLPR0603290004	देय लोन राशि- 10,00,000/- दिनांकः 30/03/2016, अनुबंध राशि- 18,48,370/- कुल शेष बकाया - 95,66,335/- दिनांक 12.12.2025 तक देय अन्य शुल्क + खर्चे लागू	मौज अमखेड़ा, एन.बी. 4, प.ह. नं. 80/22, खसरा नं. 49/4, क्षेत्रफल-60x60=3600 वर्ग फुट, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.) में स्थित एक प्लॉट से संबंधित आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति का पूरा हिस्सा। बिक्रीनामा (Sale Deed) दिनांक 04.05.2011 को क्रमांक 404 पर निष्पादित किया गया। जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैंः संपत्ति की सीमाएँः- पूर्वः सड़क, पश्चिमः बसोरीलाल और अन्य, उत्तरः बसोरीलाल रायकवार और अन्य, दक्षिणः मुन्ना चौकसे।
1. श्री कोमल चडार (अठया) पुत्र लोकमन चडार (उधारकर्ता) पताः ग्राम-हथनी पोस्ट-भूरी हथनी वन कार्यालय के पास, तहसील एवं जिला- दमोह (म.प